# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

**(पीठासीन अधिकारी भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)**

मिशल संख्याः– 379/2019 निर्णय दिनांक :– 14.01.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

रतना पुत्र गणेश जाति माली निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

**– प्रार्थी –**

**बनाम**

1. रामलाल पुत्र नन्दा जाति माली निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. भवंरलाल पुत्र नन्दा जाति माली निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
3. सुखलाल पुत्र नन्दा जाति माली निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
4. पांचू पुत्र नन्दा जाति माली निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
5. पारी पुत्री नन्दा जाति माली निवासी सिरोही तहसील देवली हाल निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
6. रामचन्द्रा पुत्र छगना जाति माली निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
7. देव्या पुत्र छगना जाति माली निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
8. अमरा पुत्र छगना जाति माली निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
9. जगन्नाथ पुत्र छगना जाति माली निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

9/1. धन्नालाल पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

9/2. देवाराम पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

9/3. नाथू पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी सिरोही तहसील देवली हाल निवासी लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक राजस्थान।

10. श्रवण पुत्र छगना जाति माली निवासी सिरोही तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
11. श्रीमान तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)।

**– प्रतिपक्षीगण**

**–उपस्थितिः–**

**श्री एस. एन. धाकड़**
**अधिवक्ता प्रार्थीगण**

**श्री रामलाल कटारिया**
**अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व 9/1**
**एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध**
**अप्रार्थी संख्या 9/2 व 9/3**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 274 ख0नं0 427 रकबा 0.19 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.19 है0 वाके तनग्राम सिरोही पटवार हल्का पोल्याडा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि से पहले अप्रार्थीगण नं. 1 ता 10 की खातेदारी व कब्जे–काश्त की भूमि आराजी खाता संख्या 318 ख0नं0 408 रकबा 0.35 है0 जो वाके तनग्राम

सिरोही पटवार हल्का पोल्याडा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से ही अप्रार्थीगण नं. 1 ता 10 की उक्त भूमि में बने हुए कदीमी रास्ते से आता–जाता रहा है तथा काश्तकारी कार्य करता रहा है जो आज भी मौके पर काबिल–काश्त नही है और रास्ते के रूप में उपयोग–उपभोग हो रहा है। दिनांक 25.08.2019 को अप्रार्थीगण नं. 1 ता 10 ने अपने बाहुबल का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी के खातेदारी में आने–जाने वाली कदीमी रास्ते में कांटो की बाड़ लगाकर व अन्य कृषि के सामानो को डालकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थी को उसकी खातेदारी की भूमि में आने–जाने व काश्तकारी कार्य करने हेतु विधिवत रूप से रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। यदि प्रार्थी को उक्त भूमि में से रास्ता नहीं दिलवाया गया तो प्रार्थी अपनी भूमि में काश्त नही कर पायेगा तथा प्रार्थी व इनके परिवारजन भूखे मर जायेगे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व 9/1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल कटारिया ने वकालतनामा व जवाब पेश किया परन्तु 1 ता 8 के विरूद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। अतः जवाब अप्रार्थी संख्या 9/1 की ओर से ही स्वीकार किया जाता है। जवाब इस प्रकार है :– प्रार्थना पत्र का चरण सं. 1 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है। प्रार्थी ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये गलत व असत्य प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रार्थी के हाल खाता सं. 284 में खसरा नं क्रमशः 375, 394, 395, 426 व 427 है जिसका रकबा क्रमशः 0.86 है0, 0.02 है0, 0.01 है0, 0.40 है0 व 0.19 है0 ग्राम सिरोही (पोल्याडा) में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि हाल जमाबन्दी के अनुसार खसरा नं0 426 व 427 पर काश्त करने लिये खसरा नं0 368 से हमेशा आने–जाने के लिये रास्ता बना हुआ है जो सिवायचक है तथा खसरा नं0 426 व 427 इससे जुडा हुआ है। इस कारण प्रार्थी को अलग से रास्ता की आवश्यकता नही है। श्रीमान के अवलोकनार्थ प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात मय मेप ट्रेस पेश है। प्रार्थना पत्र का चरण सं0 2 स्वीकार है। अप्रार्थीगण के खसरा नं0 408 मे हम 1 से 10 तक सहखातेदार है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिसको अप्रार्थीगण ने 1/4–1/4 हिस्सा करके रास्ते की तरफ जो रास्ता सिरोही से कुशालपुरा की तरफ जाता है जिसमें अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से की जमीन पर रास्ते की तरफ मकान व बाड़े बना रखें है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र का चरण सं0 3 जिस

प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिसमे कोई अलग से रास्ता नही है और ना ही प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नं0 408 के अलावा अन्य खाली भूमि नही है। प्रार्थी ने झूठे तथ्य पेश कर श्रीमान न्यायालय को गुमराह करने की नियत से यह झूठा और असत्य प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी के लिये वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भमि खसरा नं0 426 पर काश्त करने के लिये वादी को हाल खसरा नं0 368 जिस पर पूर्व से रास्ता बना हुआ है। जो प्रार्थी के खसरा नं0 427 से जुड़ा हुआ है। जिससे आगे 427 लगा हुआ है और इस रास्ते से हमेशा आते जाते रहे है। प्रार्थी को अलग से रास्ते की आवश्यकता नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र का चरण सं0 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं0 408 के बराबर मे कोई रास्ता अलग से नही है। प्रार्थी हमेशा से उनकी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं0 426 से जो खसरा नं0 368 से लगा हुआ है जो सरकारी भूमि है जिस पर हमेशा से आते जाते रहे है। उसके साथ ही 427 है जिससे हमेशा आते जाते रहे है। प्रार्थी को अलग से रास्ता देनें की आवश्कता नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। खारिज फरमाया जावें। अवलोकनार्थ प्रार्थी की खातेदारी की जमाबन्दी व मेप ट्रेस पेश है। प्रार्थना पत्र का चरण सं0 5 से 8 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी ने झूठे तथ्यों के आधार पर श्रीमान न्यायालय मे यह झूठा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आ.टी.ए. पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि हाल खाता संख्या 284 से जाहिर है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नं0 426 व 427 नेशनल हाइवें से जुडी हुई होने से प्रार्थी हमेशा से अपनी स्वंय की खातेदारी की भूमि से हमेशा आता–जाता रहा है। झूठ बोल कर न्यायालय मे आया है। प्रार्थी मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से यह झूठे तथ्य पेश कर प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 11 तहसीलदार देवली ने जवाब /मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः– प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर कृषि कार्य हेतु रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 6.09 मी0 तथा लम्बाई 35 मीटर = 213.15 वर्गमीटर अर्थात 0.03 भूमि की गणना होगी। आराजी पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। रास्ता चाहे जाने वाली कृषि भूमि डीएलसी

दर 5167455 रू. की दर से रू. 155024 का दोगुना राशि रू. 310048 बनती है। भूमि 0.03 है0 आबादी एन. एच से 100 मीटर से कम दूरी पर है। आवेदक की भूमि स्वंय की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी की ख0 नं0 408 रकबा 0.35 है, अन्य की खातेदारी में रास्ता चाहता है। प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शा दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते में किसी प्रकार की दीवार, संरचना व वृक्ष इत्यादि नही है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने हेतु सहमत नही है। प्रार्थी ख0नं0 427 से 408 में होते हुए रास्ता चाहता है। ख0नं0 408 के पश्चात ख0नं0 405 रकबा 0.48 है0 किस्म बंजड़ सिवायचक भूमि सटकर सिरोही से कुशालपुरा डामरीकृत ग्रामीण सड़क मौजूद है जो राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता नही होकर बंजड़ दर्ज है किन्तु मौके पर सड़क डामरीकृत पर पहुंचने हेतु ख0नं0 427 का प्रार्थी खातेदार ख0नं0 408 खातेदारी भूमि में से लगभग 0.03 भूमि गै0मु0 रास्ता के रूप में नियमानुसार चाहता है। अतः मौका रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट में भी रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई गई है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। नहर से कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार कोई मकान, बाड़ा नहीं है। अतः तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता तरमीम करवाने के आदेश प्रदान करे। इसके लिए प्रार्थीयागण नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाने के लिए तैयार है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खाते में दोनो ख. नं. 426 व 427 है और दोनो ख. नं. अड़वा ही है। ख. नं. 426 में नहर से रास्ता जाता है। प्रार्थी द्वारा चाहे रास्ते में मकान व बाड़े बने हुए है। प्रार्थीयागण ने केवल हैरान व परेशान करने के मकसद से प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है और तहसीलदार की रिपोर्ट मौके अनुसार सही नहीं है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है।

पत्रावली का अवलोकन किया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 427 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम सिरोही तहसील देवली में कृषि कार्य के लिए आने जाने हेतु भूमि ख. नं. 408 में से रास्ता चाहता है। अप्रार्थीगण द्वारा बहस में यह कथन किया है कि ख. नं. 426 भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जो ख. नं. 427 के अड़वा है। प्रार्थी ख. नं. 426 में नहर के रास्ते आता जाता है और ख. नं. 427 में भी कृषि कार्य करता है।

तहसीलदार द्वारा दी गई रिपोर्ट को गलत बताते हुए कथन किया हे कि प्रस्तावित रास्ते के मध्य मकान व बाड़े बने हुए है । नक्शा ट्रेस का गहनता से अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख. नं. 426 भी ख. नं. 427 के अड़वा ही है। प्रार्थी ख. नं. 426 में नहर के रास्ते से आ जा सकता है तो ख. नं. 427 में आने में भी कोई आपति नहीं होनी चाहिए। उक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास अपनी आराजी भूमि में आने जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता है। केवल सुखाचार व सुविधा के लिए यह केवल 0.19 है0 भूमि के लिए रास्ता चाहता है जो केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से मांग रहा है। तहसीलदार रिपोर्ट में ख. नं. 408 से भी रास्ता प्रस्तावित किया है जबकि ख. न. 408 के अलावा भी प्रार्थी अपने अन्य आराजी ख. नं. 426 व 427 में नहर के पास से बने हुए रास्ते से आ जा सकता है। रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार की रिपोर्ट भी धारा 251 ए के प्रावधानो के अनुरूप नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 251 ए व तहसीलदार की रिपोर्ट धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार नहीं होने के कारण पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली